कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1623 / FP/UK/ROAD/21822/2016 :देहरादून:दिनांकः 7 जनवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से बनाली के कि0मी0 3 से कुण्ड 8.125 कि0मी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.1415 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/94/2019/एफ0सी0/1778 दिनांक 08–11–2019।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी एवं प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर के द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

1. **शर्त संख्या–1** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 10.283 हे0 मौजा कुण्ड, की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 31,52,058.00 मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 10.283 हे0 ग्राम–कुण्ड पट्टी सकलाना की सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया जा चुका है, जिसके अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। **(संलग्नक–1)**
2. **शर्त संख्या–2** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम–कुण्ड, पट्टी सकलाना की 10.283 हे0 सिविल भूमि को **''संरक्षित वन''** घोषित करने हेतु सचिव (प्रभारी), वन अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 831/X-3-22/1(50)/2019 दिनांक 23.08.2022 द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**
3. **शर्त संख्या–3** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि मसूरी वन प्रभाग एवं नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत क्रमशः रू0 26,46,725.00 एवं रू0 9,40,485.00 कुल रू0 35,87,210.00 मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की गई है।
4. **शर्त संख्या–4** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होने की दशा में बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराया जायेगा। बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**
5. **शर्त संख्या–5** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू0 67,39,268.00 जमा करने की ऑनलाईन चालान की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–4)**
6. **शर्त संख्या–6** के अनुपालन में कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 103 वृक्ष (मसूरी वन प्रभाग) एवं 49 वृक्ष (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग) से अधिक नही होगी।
7. **शर्त संख्या–6** के अनुपालन में मसूरी वन प्रभाग, मसूरी द्वारा प्रेषित वृक्षारोपण योजना की प्रति संलग्न कर प्रषित की जा रही है। **(संलग्नक–5)**

अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में वन अधिनियम–1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि</u>

भवदीय,
07/01/23
(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या– / FP/UK/ROAD/21822/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी